रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML-2007.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 1 मार्च, 2008 / 11 फाल्गुन, 1929

हिमाचल प्रदेश सरकार

सहकारिता विभाग

अधिसूचना

शिमला–171002, 15 जनवरी, 2008

संख्याः कूप0बी0(1)–2/99.– हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश सहकारिता विभाग में निरीक्षक/निरीक्षक (संपरीक्षा) (वर्ग–**III**, अराजपत्रित) के पद के लिए उपाबन्ध **"क"** के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थातः–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.–** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सहकारिता विभाग निरीक्षक/निरीक्षक (संपरीक्षा) (वर्ग–**III** अराजपत्रित) भर्ती एंव प्रोन्नति नियम, 2007 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किये जाने की तारीख से प्रवृत होंगे।

निरसन और व्यावृतियां.– (1) इस विभाग की अधिसूचना संख्याः 1–55/69–कूप (एस), तारीख 15 मई, 1986 द्वारा अधिसूचित सहकारिता विभाग निरीक्षक/निरीक्षक (अंकेक्षण) (वर्ग–**III** अराजपत्रित) भर्ती औरैर प्रोन्नति नयम का एतद् द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम **2(1)** के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा
प्रधान सचिव।

———————

उपाबन्ध "क"

सहकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश में निरीक्षक/निरीक्षक (संप रीक्षा) सहकारी सभाएं (वर्ग–III,अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम !

1.	**पद का नाम**	:	निरीक्षक/निरीक्षक (सपं रीक्षा) सहकारी सभाएं
2.	**पदों की संख्या**	:	535 (पांच सौ पैन्तीस)।
3.	**वर्गीकरण**	:	वर्ग–111 (अराजपत्रित)।
4.	**वेतनमान**	:	रू0 5480–160–5800–200–7000–220–8100–275–8925,
5.	**चयन पद अथवा अचयन पद**	:	अचयन।
6.	**सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु**	:	18 से 45 वर्ष।

परन्तु सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा पर नियुक्त किये गये व्यक्तियों सहित पहले से सरकार की सेवा में रत अभ्यार्थियों को लागू नहीं होगी।

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया अभयर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विषेश आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है।

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को जो ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जायेगी जैसा सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जायेगी जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किये गये थे/किये गये हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप में आमेलित किये गये हैं/किये गये थे।

नोटः–

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमंत्रित करने के लिए यथास्थिति विज्ञापित किया गया है, या नियोजनालयों को अधिसूचित किया जाता है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्याार्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव भर्ती अधिकारी के विवेकानुसार शिथिल किए जा सकेंगे।

7. सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हतायें :

(क) अनिवार्य अर्हताः– किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या समकक्ष।

(ख) वांन्छनीय आर्हताएंः हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यामान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिये उपयुक्तता।

8. सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हतायें प्रोन्नति की दशा में लागू होगी या नहीं :

आयु : लागू नहीं।

शैक्षिक आर्हताएं : लागू नहीं

9. परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो,.– दो वर्ष जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थिति में और लिखित कारणों से आदेश दें।

10. भर्ती की पद्धति–भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता :

1, सीधी भर्ती द्वारा या संविदात्मक के आधार पर––––––––––––––––58 प्रतिशत।

2, प्रोन्नति द्वारा––––42 प्रतिशत।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जायेगा।

निम्नलिखित से प्रोन्नति द्वाराः–

(क) लिपिक वर्ग में से (कनिष्ठ सहायक व लिपिक को सम्मिलित करके) जिनका 10 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा को सम्मिलित करके संयुक्त नियमित सेवाकाल यदि कोई है। = 30%

(ख) पंचायत सचिव में से जिनका कम से कम 10 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा को सम्मिलित करके संयुक्त नियमित सेवाकाल यदि कोई है। =10%

(ग) आशुटंकक में से जिनका कम से कम 10 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा को सम्मिलिति करके संयुक्त नियमित सेवाकाल यदि कोई है। =02%

उपरोक्त रिक्तियॉ निम्नलिखित रीति में रोस्टर के आधार पर भरी जायेंगीः—

1. सीधे
2. सीधे
3. कनिष्ठ सहायक / लिपिक
4. सीधे
5. सीधे
6. कनिष्ठ सहायक / लिपिक
7. सीधे
8. सीधे
9. पंचायत सचिव
10. कनिष्ठ सहायक / लिपिक
11. सीधे
12. सीधे
13. कनिष्ठ सहायक / लिपिक
14. सीधे
15. सीधे
16. कनिष्ठ सहायक / लिपिक
17. सीधे
18. सीधे
19. पंचायत सचिव
20. कनिष्ठ सहायक / लिपिक
21. सीधे
22. सीधे
23. कनिष्ठ सहायक / लिपिक
24. सीधे

25. सीधे

26. कनिष्ठ सहायक / लिपिक

27. सीधे

28. सीधे

29. पंचायत सचिव

30. कनिष्ठ सहायक / लिपिक

31. आशुटंकक

32. सीधे

33. सीधे

34. कनिष्ठ सहायक / लिपिक

35. सीधे

36. सीधे

37. कनिष्ठ सहायक / लिपिक

38. सीधे

39. सीधे

40. पंचायत सचिव

41. कनिष्ठ सहायक / लिपिक

42. सीधे

43. सीधे

44 कनिष्ठ सहायक / लिपिक

45. सीधे

46. सीधे

47. कनिष्ठ सहायक / लिपिक

48. सीधे

49. पंचायत सचिव

50. कनिष्ठ सहायक / लिपिक

रोस्टर प्रत्येक पच्चासवें विन्दु के बाद तब तक दोहराया जायेगा जब तक सभी श्रेणीयों को दी गई प्रतिशतता नहीं मिल जाती। उसके बाद पद को उसी प्रवर्ग से भरा जायेगा जिससे पद रिक्त हुआ हो।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथा विहित सेवाकाल के लिए इन शर्तों के अधीन रहते हुये गणना में ली जाएगी कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति /प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रकिया को अपनाने के पश्चात की गई भी, उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा / नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपयुर्क्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किये जाने का पात्र हो जाता है, वहॉ अपने–अपने प्रवर्ग / पद / काडर में उससे वरिष्ठ सभी वरिष्ठ व्यक्ति विचार किये जाने के पात्र समझे जायेंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से उपर रखे जायेंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाता है, कम से कम तीन वर्ष न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम होगीः

परन्तु यह और भी कि जहॉ कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किये जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसे प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा / समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण : अन्तिम परन्तुक के अर्न्तगत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाईजड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन आफ बैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान टैक्नीकल सर्विसीज) रूलज, 1972 के नियम 3 के उपबंधों के अधीन भर्ती किया गया हो तथा इसके अधीन वरीयता लाभ दिये गये हो, या जिसे एक्स–सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूलज, 1965 के नियम 3 के उपबन्धों के अधीन भर्ती किया गया हो व इसके अधीन वरीयता लाभ दिये गये हो।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा, उसके फलस्वरफप पारस्परित वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यामान हो तो उसकी संरचना : जैसा कि सरकार द्वारा समय–समय पर गठित की जाये।

13. भर्ती करने में, जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगाः जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित है।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा : किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन : सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, यदि, यथा स्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जायेगा जिसका स्तर / पाठ्यक्रम इत्यादि यथास्थिति आयोग / अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जायेगा।

15(क) संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन (नया उपबन्ध)

(I) संकल्पना :

(क) इस पालिसी के अधीन सहकारिता विभाग में निरीक्षक / निरीक्षक (संपरीक्षा) सहकारी सभायें संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष की अवधि के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुरूप आधार पर दो और वर्षों के लिए बढाया जा सकेगा।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर के कार्यक्षेत्र में आना : रजिस्ट्रार, सहकारी सभाएं रिक्त पदों को संविदा आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात अध्यपेक्षा को सम्बद्व भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ चयन बोर्ड, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जायेगाा।

(घ) इन नियमों के अधीन इस प्रकार चयनित संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को सरकारी नौकरी (जॉब) में नियमितिकरण या स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां : संविदा के आधार पर नियुक्त निरीक्षक / निरीक्षक (संपरीक्षा) सहकारी सभाएं को प्रतिमास 8220 / –रूपये की दर से संविदात्मक रकम प्रतिमास संदत्त की जायेगी। (जोकि मूल वेतनमान के प्रारम्भिक जमा महंगाई वेतन के बराबर होगी)। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढौतरी की जाती है, तो क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए संविदात्मक रकम में 160 / –रूपये की बढोतरी अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति / अनुशासन प्राधिकारी : पंजीयक, सहकारी सभायें हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया : संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन हो तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर / पाठयक्रम इत्यादि सम्बद्व भर्ती अभिकरण अर्थात हि0प्र0 अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाएगा।

सरकार द्वारा अनुरोध पर विचार किया जाएगा और यदि प्रथमतः स्थानान्तरण के लिए कोई अनुरोध है तो सरकार नियमित पदधारी के स्थानान्तरण द्वारा रिक्ति को भरेगी या अन्यथा सरकार रजिस्ट्रार सहकारी सभायें को निरीक्षक / निरीक्षक (संपरीक्षा) के रिक्त पद को संविदा के आधार पर केवल एक वर्ष के लिए भरने हेतु "निराक्षेप प्रमाण–पत्र" जारी करेगी जिसे रजिस्ट्रार सहकारी सभायें द्वारा दो और वर्षों के लिए बढाया जा सकेगा ।

रजिस्ट्रार सहकारी सभायें रिक्त पद को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात अध्यपेक्षा को सम्बन्धित भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड को भेजेगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति : जैसी सम्बन्धित भर्ती अधिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड द्वारा गठित की जाए।

(VI) करार : अभ्यर्थी को चयन के पश्चात इन नियमों से संलग्न उपाबंध–'ख' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें :

(क) संविदा के आधार पर नियुक्त निरीक्षक/निरीक्षक (संपरीक्षा) सहकारी सभाएं को प्रतिमास 8220/–रूपये की दर से नियत संविदात्मक रकम प्रतिमास संदत्त की जायेगी। (जोकि वेतनमान के प्रारम्भिक जमा महंगाई वेतन के बराबर होगी) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति क्रमश : द्वितीय और तृतीय वर्ष के संविदात्मक रकम में 160/–रूपये की वार्षिक वृद्वि का हकदार होगा और कोई अन्य सह्बद्व प्रसुविधाएं जैसे कि वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि का हकदार नहीं होगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किये जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त अभ्यर्थी को किसी भी अवस्था में सेवा में नियमितिकरण का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

(घ) संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसुति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।

(ड.) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनाधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा की समाप्ति (पर्यावसान) हो जायेगी।

संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि के लिए किसी प्रकार की संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(च) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी अवस्था में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(छ) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में 12 सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था उन्हें प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः निरीक्षण करवाया जाना चाहिए।

(ज) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(VIII) नियमित नियुक्ति के लिए दावा करने का अधिकार : इन नियमों के अधीन संविदा के आधार पर लगाए गए अभ्यर्थी को किसी भी अवस्था में निरीक्षक/निरीक्षक (संपरीक्षा) सहकारी सभाएं के रूप में नियमितिकरण/स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

16. आरक्षण : सेवा में नियुक्ति हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बावत जारी किये गये अनुदेशों के अधीन होगी।

17. **विभागीय परीक्षा :** लागू नहीं।

18. **शिथिल करने की शक्ति :** जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेशों द्वारा इन नियमों के किन्ही उपबन्धों की किसी वर्ग या व्यक्तियों से प्रवर्ग या पदों की बावत, शिथिल कर सकेगी।

———————

उपाबन्ध "ख"

निरीक्षक सहकारी सभाएं और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य रजिस्ट्रार, सहकारी सभायें के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा / करार का प्रारूप।

यह करार संविदा पर नियुक्त व्यक्ति श्री / श्रीमती / कुमारी .....पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री..... निवासी..... (जिसे इसमें इसके पश्चात **"प्रथम पक्षकार"** कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, रजिस्ट्रार सहकारी सभायें, के माध्यम से (जिसे इसमें इसके पश्चात "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है), के मध्य तारीख..... को किया गया।

"द्वितीय पक्षकार" ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने निरीक्षक के रूप में संविदा आधार पर निम्नकिलखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः–

1. यह कि प्रथम पक्षकार निरीक्षक सहकारी सभाएं के रूप में.....से प्रारम्भ होने और.....को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात.....दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम रूपये.....8220 / –.....प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा बिल्कुल अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्व नियुक्त या तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है, तो नियुक्ति समाप्त I((पर्यवसित) किए जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदात्मक नियुक्ति किसी भी दशा में नियमित सेवा के लिए पदधारी को कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

5. संविदात्मक निरीक्षक सहकारिता एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा निरीक्षक सहकारिता को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा / होगी। नियमानुसार केवल प्रसूति अवकाश दिया जाएगा।

6. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन्न) हो जाएगा। संविदात्मक निरीक्षक सहकारी सभाएं पर कर्तव्य (कार्य) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम लेने का हकदार नहीं होगा।

7. संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं होगा।

8. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था उसे प्रसव होने तक अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः निरीक्षण किया जाना चाहिए।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने पहले पैरा में लिखी तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो तो वह उसी दर पर, जैसी कि वेतनमान के न्यूनतम पर नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को लागू है यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी।

10. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति को सामुहिक जीवन बीमा योजना के साथ साथ इ.पी.एफ. / जी.पी. एफ. भी लागू नहीं होगा।

गवाह की उपस्थिति में

1.....
.....
.....

(नाम व पूरा पता)

2.,.....
.....
.....

(नाम व पूरा पता)

गवाह की उपस्थिति में

1,..... प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

2.....
.....
.....

(नाम व पूरा पता) द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर

[Authoritative English text of this Department Notification No.Coop.B(1)-2/99 dated15-01-2008_as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

CO-OPERATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 15th January, 2008

No.Coop.B(1)-2/99.— In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Inspector/Inspector(Audit) Cooperative Societies (Class-III, Non Gazetted) in the Co-operation Department of HimachalPradesh as per Annexure-A appended to this notification, namely:-

1. *Short title and commencement.*— (1) These Rules may be called the Himachal Pradesh Co-operation Department Inspector/Inspector(Audit)Cooperative Societies(Class-III,Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules,2007.

(2) These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra,Himachal Pradesh.

2. *Repeal and Savings.*— (1) The Recruitment and Promotion Rules, for the post of Inspector/Inspector(Audit), Cooperative Societies, (Class-III, Non-Gazetted),Co-operation Department notified vide this Department Notification No.1-155/69-Coop.(S) dated 15th May,1986 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding, such repeal, any appointment made, or any thing done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule 2(1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

By order,
Sd/-
Principal Secretary.

Annexure-A

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OFINSPECTOR COOPERATIVE (CLASS-III) IN THE DEPARTMENT OF CO-OPERATION, HIMACHAL PRADESH.

1.	*Name of the post :*	Inspector/Inspector(Audit)
2.	*Number of posts :*	535(Five hundred thirty five)
3.	*Classification :*	Class-III(Non-Gazettred)
4.	*Scale of pay :*	Rs.5480-160-5800-200-7000-220-8100-275-8925.

5. *Whether Selection post or non-selection post :* Non-Selection

6. *Age for direct recruits :* Between 18 & 45 years.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government.

Provided further that the employees of all the public Sector corporations and Autonomous Bodies who happened to be Governments Servant before at the time on initial constitutions of such corporations /Autonomous bodies at the time on initial constitutions of such Corporation/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporation/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporation/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporation/Autonomous Bodies.

Note:

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post (s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchange or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment relaxation at the discretion of the recruitment Authority in case the candidate is otherwise well qualified.

7. *Minimum Educational and other qualifications required for direct recruits.*

ESSENTIAlL QUALIFICATION : Graduate of a recognised University or its equivalent.

DESIRABLE QUALIFICATION : Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. *Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees :*

Age : No

Educational Qualification : N.A.

9. *Period of probation, if any :* Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10.	*Method of recruitment whether : which by direct recruitment. Contract basis promotion, deputation, transfer and the percentage of vacancies to be filled in by various methods:*	(i) By direct recruitment or on =58% (ii) By promotion =42%

11. *In case of recruitment by promotion,deputation, transfer, grade from which promotion/ transfer is to be made :* By promotion from amongst:-

(a) Clerical cadre(which include Jr.Assistant & Clerks) with 10 years regular service or regular combined with continuous Adhoc service rendered if any, In the grade = 30%

(b) Panchyat Secretary with 10 years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered if any in the grade =10%

(c) Steno-typist with 10 years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendedred if any, in the grade =2%

The above vacancies will be filled up In the following manners:-

1. Direct.

2. Direct.

3. Jr.Assistant/Clerk.

4. Direct.

5. Direct.

6. Jr.Assistant/Clerk.

7. Direct.

8. Direct.

9. Panchyat Secretary

10. Jr.Assistant/Clerk.

11. Direct.

12. Direct.

13. Jr.Assistant/Clerk.

14. Direct.

15. Direct.

16. Jr.Assistant/Clerk.

17. Direct.

18. Direct.

19. Panchyat Secretary

20. Jr.Assistant/Clerk.

21. Direct.

22. Direct.

23. Jr.Assistant/Clerk.

24. Direct.

25. Direct.

26. Jr.Assistant/Clerk.

27. Direct.

28. Direct.

29. Panchyat Secretary

30. Jr.Assistant/Clerk.

31. Steno-typist.

32. Direct.

33. Direct.

34. Jr.Assistant/Clerk.

35. Direct.

36. Direct.

37. Jr.Assistant/Clerk.

38. Direct.

39. Direct.

40. Panchyat Secretary

41. Jr.Assistant/Clerk.

42. Direct.

43. Direct.

44. Jr.Assistant/Clerk.

45. Direct.

46. Direct.

47. Jr.Assistant/Clerk

48. Direct.

49. Panchyat Secretary

50. Jr.Assistant/Clerk.

The roster will be rotated after every 50 point till the representation to all the categories is achieved by the given percentage. Thereafter the vacancy is to be filled up from the category which vacates the post.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules;

(i) In all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a junior person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation :- The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be exservicemen recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilised Armed Forces Personnel(Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules,1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rules,1972 and having been given the

benefit of Rule-3 of Ex- Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules,1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post , if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service; if the adhoc appointment/promotion against such post had been made after proper selection and in accordance with the provisions of the Recruitment and Promotion rules;

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. *If a Departmental Promotion Committee exists, what is its Composition ? :* As may be constituted by the Govt. from time to time.

13. *Circumstances under which The H. P. Public Service Commission is to be consulted In making recruitment :* As required under the Law.

14. *Essential requirement for a direct recruitment :* A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. *Selection for appointment to the post by direct recruitment :* Selection for appointment to the post or in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test, if the H.P.P.S.C. or other recruiting authority as the case may be consider necessary or expedient, by a written test or practical test, the standard /syllabus, etc. of which, will be determined by the recruiting authority as the case may be.

15-A Selection for to Appointment to the post by contract basis.

(i) CONCEPT : (a)Under this policy, the Inspector, Cooperative Societies in the Cooperation Department will be engaged on contract basis initially for one year which may be extendable further for two more years on year to year basis.

(NEW PROVISION)

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSSB HAMIRPUR : The Registrar,Cooperative Societies after obtaining the approval of theGovernment to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.PSubordinate Services Selection Board, Hamirpur.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(d) Contract appointee so selected under these Rules will not haveany right to claim for regularisation or permanent absorption in the Government job.

(ii) CONTRACTU AL EMOLUMENTS : The Inspector/Inspector (Audit) Cooperative Societies appointed on contract basis will be paid contractual amount @ Rs.8220/- P.M.(which shall be equal to initial of the pay scale+ Dearness pay). An amount of Rs.160/- as annual increase in contractual emoluments for the second and third years respectively will be allowed if contract is extended beyond one year.

(iii) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY : Registrar Cooperative Societies will be appointing and disciplinary authority.

(iv) SELECTION PROCESS : Selection for appointment to the post in the case of ContractAppointment will bemade on the basis of viva-voce test or if onsidered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. HP SSS BOARD.

(v) COMMITTEE FOR SELETION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS : As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the H.P.SSS Board from time to time.

(vi) AGREEMENT : After selection of a candidate he has to sign an agreement as per Annexure-B appended to these rules.

(vii) TERMS AND CONDITIONS :

(a). The Inspector/Inspector(Audit), Co-operative Societies appointed on contract basis will be paid fixed contractual amount @Rs.8220/-per month (which shall be equal to initial of the pay scale + dearness pay). The Contract Appointee will be entitled for increase in contractual amount @Rs.160/- per annum for second and third years respectively and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. shall be given.

(b). The service of the contractual appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance / conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c). Contractual appointment shall not confer any right to the incumbent for the regularization in service at any stage.

(d). Contractual appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/She shall not be entitle for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per rules.

(e). Unauthorised absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(f) Transfer of a contract appointee will not be permitted from one place to another in any case.

(g) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidates pregnant beyond twelve weeks will be temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be reexamined for fitness from an authorized medical officer/practitioner.

(h) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular officials at the minimum of pay scale.

(viii) RIGHT TO CLAIM REGULAR APPOINTMENT : The candidate engaged on contract basis under these rules shall have no right to claim regularization/ permanent absorption as Inspector / Inspector (Audit) ,Co-operative Societies in the department at any stage.

16. *Reservation :* The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for SC/ST/OBC/ other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from ti me to time.

17. *Departmental Examination :* Not applicable.

18. *Power to relax :* Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may by order for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

Annexure-B

Form of contract/agreement to be executed between the Inspector Cooperative Societies and the Government of Himachal Pradesh through Registrar, Cooperative Societies, Himachal Pradesh.

This agreement is made on this_____day of_____in the year____between Shri/Smt./Kumari_____S/O/D/O/W/OShri_____ _____R/O_____

Contract appointee (here-in-after called the FIRST PARTY). AND The Governor, Himachal Pradesh through Registrar, Cooperative Societies, Himachal Pradesh (here-inafter the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as Inspector on contract basis on the following terms & conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as Inspector Cooperative Societies for a period of one year commencing on_____day of_____and ending on the_____day of_____. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on_____ and information notice shall not be necessary.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs.8220/-per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/postedagainst the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. The contractual appointment shall not confer any right to the incumbent for regularization in service at any stage.

5. Contractual Inspector Cooperative will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual Inspector Cooperative Societies. He/She will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

6. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Inspector Cooperative Societies will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

7. Transfer of official appointed on contract basis will not be permitted from one place to another place in any case.

8. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

9. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.

10. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1._____
_____
_____
(Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2._____
_____
_____
(Name and Full address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1._____
_____
_____
(Name and Full address)

(Signature of the SECOND PARTY)

2._____
_____
(Name and Full address)

HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION SHIMLA

NOTIFICATIONS

Shimla, the 26th February, 2008

No.HPERC/MYT/476/02.— In exercise of powers vested under sub-sections (zd), (ze) and (zf) of sub section (2) of Section 181, read with Sections 61, 62 and 86 of the Electricity Act 2003 (36 of 2003) and all powers enabling it in that behalf, the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission proposes to make the following regulations for amending the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Hydro Generation Tariff) Regulations, 2007, published in the Rajpatra, Himachal Pradesh dated 10th October, 2007, are hereby published as required by rule 3 of the Electricity (Procedure for Previous Publication) Rules, 2005 and by sub-section (3) of section 181 of the said Act, for the information of all the persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft Regulations will be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh, together with any objections or suggestions which may within the aforesaid period be received in respect thereto.

The objections or suggestions in this behalf should be addressed to the Secretary, Himachal Pradesh Regulatory Commission, Keonthal Commercial Complex, Khalini, Shimla-71002.

DRAFT REGULATIONS

PART-I

PRELIMINARY

1. *Short title and commencement.*— (1) These regulations shall be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Hydro Generation Tariff) (First Amendment) Regulations, 2008.

(2) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Amendment of Regulation 3.*— In regulation 3 of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Hydro Generation Tariff) Regulations, 2007 (hereinafter called "the said regulations")-

(a) clauses (h), (m), (p), (v), (z), (aa) and (cc) shall be omitted;

(b) for existing clause (n), the following clause (n) shall be substituted namely:-

"(n) 'Date of Commercial Operation' or 'COD' in relation to a generating unit means the date declared by the generating company from which, after notice to the beneficiaries, scheduling process as per regulation 33 shall be fully implemented, and the Capacity Charge and the Energy Charge would be payable along with adjustment for Unscheduled Interchange, and in relation to a generating station, the date of commercial operation means the date declared by the generating company after demonstrating the peaking capability corresponding to the Installed Capacity (IC) of the generating station through a successful trial run, after notice to the beneficiaries.";

(c) for existing clause (u), the following clause (u) shall be substituted, namely:-

(u) "Normative Saleable Capacity" means the capacity (MW) available for sale after allowing 12% free power to the home State, when all generating units are available, and shall be = Installed Capacity x (1 – Normative Auxiliary Energy Consumption – Normative Transformation Loss) x 0.88,";

(d) after clause (u), the following clause (uA) shall be inserted, namely:-

"(uA) 'Normative Annual Saleable Energy' means the quantum of annual energy available for sale after allowing 12% free energy to home State, corresponding to annual Design Energy, and shall be = Annual Design Energy x (1 – Normative Auxiliary Consumption – Normative Transformation Loss) x 0.88," ;

5. *Amendment of regulation 9.*— Sub clause (a) of sub regulation (1) of regulation 9 of the said regulations shall be omitted.

6. *Amendment of regulation 17.*— For existing clause (c) of regulation 17 of the said regulations shall be substituted as under, namely:-

"(c) receivables equivalent to two months of capacity and energy charges for sale of electricity.";

7. *Amendment of regulation 24.*— In regulation 24 of the said regulations (1)in sub regulation (3), for existing clause (a) the following clause (a) shall be substituted namely:-

"(a) Normative Annual Plant Availability Factor (NAPAF) :

(I) For storage type generating stations and run-of-river generating stations with pondage

(i) During first year of commercial operation - 75%

(ii) After first year of commercial operation - 80%

Note: The Commission may in appropriate cases and after recording reason in support thereof specify a different Normative Annual Plant Availability Factor for a generating station.

(II) For Purely Run-of-river power stations :
To be determined plant-wise by the Commission, depending on hydrology."

(2) in sub-regulation (4) the words "Capacity Index and" shall be omitted.

8. *Amendment of regulation 25.*— For existing regulation 25 of the said regulations the following regulations shall be substituted namely:-

"25. Normative Annual Fixed Charge.- Normative Annual Fixed Charge for a hydro electric generating station shall be determined year-wise in rupees, and shall consist of

(a) Interest on loan capital;

(b) Depreciation, including Advance Against Depreciation;

(c) Return on equity ;

(d) Operation and maintenance expenses; and

(e) Interest on working capital."

9. *Amendment of regulation 26.*— For existing regulation 26 of the said regulations the following regulation shall be substituted as under, namely:-

"26. Bifurcation of the Normative Annual Fixed Charge:- The Normative Annual Fixed Charge determined under these regulations shall be bifurcated into two (2) parts, namely Normative Annual Capacity Charge (NACC) and Normative Annual Energy Charge (NAEC), for notional recovery as the capacity charge and the energy charge respectively, in the ratio of 50:50:

Provided that the Commission may in appropriate cases and for reasons to be recorded in writing determine a different bifurcation of the Normative Annual Fixed Charge."

10. *Amendment of regulation 27.*— For existing regulation 27 of the said regulations the following regulation shall be substituted namely:-

"27. Capacity Charge and Energy Charge.- (1) The capacity charge payable to the generating company for a day shall be :

(Capacity Charge Rate x Declared Capacity in MW for that day x 0.88), where Capacity Charge Rate (in Rupees per MW per day) = NACC / (Normative Saleable Capacity in MW x NAPAF x 365).

(2) The energy charge payable to the generating company for a day shall be:
(Energy Charge Rate x Scheduled Energy in MWh for that day, x 0.88), where Energy Charge Rate (in Rupees per MWh) = NAEC / Normative Annual Saleable Energy in MWh.

(3) During the period between the date of commercial operation of the first unit of the generating station and the date of commercial operation of the generating station, the capacity charge rate and the energy charge rate shall be those arrived at for the whole generating station, based on latest estimate of the completion cost.

11. *Omission of regulation 29.*— Existing regulation 29 of the said regulations shall be omitted.

12. *Amendment of regulation 33.*— In regulation 33 of the said regulations.-

(1) in sub-regulation (1) the words "and calculating capacity index" shall be omitted;

(2) in sub-regulation (3) the words "along with maximum available capacity (MW)" shall be omitted; and

(3) sub-regulations (18) and (19) shall be omitted.

13. *Amendment of regulation 36.*— sub-regulation (4) of regulation 36 of the said regulations shall be omitted.

14. *Amendment of regulation 39.*— In clause (e) of regulation 39 of the said regulations the words "capacity index" shall be omitted.

Shimla, the 29th February, 2008

No. HPERC/419.— The following draft regulations, which the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission proposes to make further to amend the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Recovery of Expenditure for Supply of Electricity) Regulations, 2005, published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extraordinary), dated 4th April, 2005, in exercise of the powers conferred by sections 46 and 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) and all other powers enabling it in this behalf, as required by sub-section (3) of section 181 of the said Act, and the Electricity (Procedure for Previous Publication) Rules, 2005 are hereby published for the information of all the persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft regulations will be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh, together with any objections or suggestions which may within the aforesaid period be received in respect thereto.

The objections or suggestions in this behalf should be addressed to the Secretary, Himachal Pradesh Regulatory Commission, Keonthal Commercial Complex, Khalini, Shimla-171002.

DRAFT REGULATIONS

1. *Short title and commencement.*— (1) These regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission(Recovery of Expenditure for Supply of Electricity) (Third Amendment) Regulations, 2008.

(2) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Amendment of regulation 13.*— In sub-regualtion(1) of regulation 13 of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission(Recovery of Expenditure for Supply of Electricity) Regulations,2008 for the words "The distribution licensee shall on an annual basis", the words "The distribution licensee shall, after previous publication, submit on an annual basis" shall be substituted.

By order,
Sd/-
Secretary.

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग शिमला

अधिसूचना

शिमला–171002, 29 फरवरी, 2006

संख्याः एच0पी0ई0आर0सी0 / 419.– निम्नलिखित प्रारूप विनियम, जिन्हें हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग असाधारण राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, दिनांक 4 अप्रैल, 2005 में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत प्रदाय पर व्यय की वसूली) विनियम, 2005 में संशोघन करने हेतु साधारण खण्ड अधिनियम, 1897(1897 का 10) की धारा 21 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 46 तथा धारा 181 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सशक्त करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करता है, और वे एतदद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 181 की उप–धारा (3) तथा विद्युत (पूर्व प्रकाशन के लिए प्रक्रिया) नियम, 2005 द्वारा यथोपेक्षित के अनुसार उनसे आम प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की सूचना के लिये प्रकाशित किए जाते हैं और एतदद्वारा यह नोटिस (सूचना) दिया जाता है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर, इनके राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन होने की तारीख से तीस (30) दिन के अवसान पर किसी भी आक्षेप या सुझाव सहित, जो इस बावत उक्त अवधि के भीतर प्राप्त हुआ हो / हुए हों, विचार किया जाएगा।

इस निमित्त आक्षेप या सुझाव सचिव, हिमाचल प्रदेश, विद्युत विनियामक आयोग, क्योंथल कमर्शियल काम्पलेक्स, खलिनी, शिमला को सम्बोधित किए जाने चाहिए।

प्रारूप विनियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.–** (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत प्रदाय पर व्यय की वसूली) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2008 है।

(2). ये विनियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होगें।

2. **विनियम 15 का संशोधन.–** हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत प्रदाय पर व्यय की वसूली) विनियम, 2005 के विनियम 13 के उप विनियम (1) में आए शब्द "वितरण अनुज्ञप्तिधारीं" के पश्चात् शब्द तथा चिन्ह ''पूर्व प्रकाशन के पश्चात्'' अन्तःस्थापित किए जाएँगे।

आदेश द्वारा,
हस्ता / –
सचिव।

————————

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATIONS

Shimla, the 14th January, 2008

No.HHC/Admn.6 (24)74-VIII.— The High Court of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested U/S 12(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973, is pleased to appoint the Civil Judge (Sr. Division)-cum-JMIC(II), Shimla as Additional Chief Judicial Magistrate w.e.f.

25.1.2008 to 2.2.2008 for Shimla District enabling him to look after the urgent work pertaining to the Courts of District and Sessions Judge, Addl. District and Sessions Judge and Fast Track Court, Shimla.

Shimla, the 17th January, 2008

No.HHC/Admn.6 (24)74-VIII.— The High Court of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested U/S 12(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973, is pleased to appoint the Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC, Nahan as Additional Chief Judicial Magistrate w.e.f. 25.1.2008 to 28.1.2008 for Sirmaur District enabling him to look after the urgent work pertaining to the Courts of Sessions Division, Sirmaur at Nahan.

Shimla, the 2nd February, 2008

No.HHC/Admn.6 (18)77-VII.— The Hon'ble High Court of Himachal Pradesh has been pleased to order that Notification No .HHC/Admn.6 (18)77-VII- 2451-67, dated 31.1.2008 regarding conferment of powers of Special Judicial Magistrate upon the District Magistrate/Executive Magistrate(not below the rank of SDM) of Solan District shall stand withdrawn with immediate effect.

Shimla, the 21st January, 2008

No.HHC/Admn.6 (24)74-VIII.— The High Court of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested U/S 12(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973, is pleased to appoint Civil Judge (Jr. Divn.)–cum-JMIC(II), Dharmshala as Additional Chief Judicial Magistrate for Kangra District enabling him to look after the urgent work pertaining to the Courts of District and Sessions Judge, Addl. District and Sessions Judges(I) & (II) and Fast Track Court, Kangra at Dharmshala w.e.f. 3.2.2008 to 12.2.2008.

Shimla, the 10th January, 2008

No.HHC/GAZ/14-209/94-I.— Shri L.N.Sharma, an officer of the cadre of District Judges/Additional District Judges, and presently posted as Presiding Officer, Labour Court/Industrial Tribunal, Shimla shall stand retired from service after attaining the age of superannuation on and w.e.f. 31.1.2008 (afternoon).

Shimla, the 11th January 2008

No.HHC/GAZ/14-297/07.— In exercise of the powers vested under Article 235 of the Constitution of India read with Rule 14 of the H.P.Judicial Service Rules, 2004 and all other

powers enabling it in this behalf, the Hon'ble High Court is pleased to extend the superannuation age of Shri V.K.Gupta, a member of the H. P. Judicial Service in the cadre of District/Additional District Judges, presently posted as Registrar (Vigilance), High Court of Himachal Pradesh, Shimla from 58 years to 60 years.

The officer will now retire on his attaining the age of 60 years.

Shimla, the 20th February, 2008

No.HHC/GAZ/14 -195/88 – 1.— Hon'ble the Chief Justice is pleased to grant 12 days earned leave w.e.f. 25.2.2008 to 7.3.2008 with permission to prefix Sunday falling on 24.2.2008 and to suffix second Saturday and Sunday falling on 8th and 9th March, 2008 in favour of Shri R.K.Verma, Civil Judge (Senior Division)-cum-CJM, Una.

Certified that Shri Verma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Verma would have continued to hold the post of Civil Judge (Sr. Division)-cum-CJM, Una, but for his proceeding on leave for the above period.

Shimla, the 13th February, 2008

No.HHC/GAZ/14 -157/84-II.— Hon'ble the Chief Justice is pleased to grant 9 days earned leave w.e.f. 15.2.2008 to 23.2.2008 with permission to suffix Sunday falling on 24.2.2008, in favour of Shri A.C.Thalwal, Presiding officer, Fast Track Court, Hamirpur.

Certified that Shri A.C.Thalwal is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri A.C.Thalwal would have continued to hold the post of Presiding Officer, Fast Track Court, Hamirpur, but for his proceeding on leave for the above period.

Shimla, the 22nd January, 2008

No.HHC/GAZ/14-255/2002.— Hon'ble the Chief Justice is pleased to grant 13 days earned leave w.e.f. 18.2.2008 to 1.3.2008 with permission to prefix special casual leave and Sunday w.e.f. 4.2.2008 to 17.2.2008 and to suffix Sunday falling on 2.3.2008 in favour of Smt. Kanta Verma, Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC (II), Mandi.

Certified that Smt. Kanta Verma is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave after expiry of the above period of leave.

Also certified that Smt. Kanta Verma would have continued to hold the post of Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC (II), Mandi, but for her proceeding on leave for the above period.

Shimla, the 2nd January, 2008

No.HHC/GAZ/14-128/82-V.— Hon'ble the Chief Justice is pleased to grant ex post facto sanction of 7 days commuted leave w.e.f. 12.12.2007 to 18.12.2007 and to suffix Sunday fell on 19.12.2007 in favour of Shri S.S.Sen, District and Sessions Judge, Una.

Certified that Shri S.S.Sen has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri S.S.Sen would have continued to hold the post of District and Sessions Judge, Una but for his proceeding on leave for the above period.

———

Shimla, the 8th January, 2008

No.HHC/GAZ/14-194/88-II.— Hon'ble the Chief Justice is pleased to grant 19 days earned leave w.e.f. 18.2.2008 to 20.3.2008 with permission to prefix special casual leave w.e.f. 4.2.2008 to 17.2.2008 and to suffix gazetted holidays and Sunday falling on 21st, 22nd and 23rd March, 2008 in favour of Shri Rajinder K. Sharma, Civil Judge (Senior Division)-cum-CJM, Kinnaur at Reckong Peo.

Certified that Shri Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Sharma would have continued to hold the post of Civil Judge (Senior Division)-cum-CJM, Kinnaur at Reckong Peo, but for his proceeding on leave for the above period.

———

Shimla, the 29th January, 2008

No.HHC/GAZ/14-84/77-IV.— Hon'ble the Chief Justice is pleased to grant ex post facto sanction of 14 days commuted leave w.e.f.12.11.2007 to 25.11.2007 with permission to prefix local holiday and gazetted holidays fell on 8th to 11th November, 2007 in favour of Shri P.C.Sharma, District and Sessions Judge, Solan.

Certified that Shri Sharma has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Sharma would have continued to hold the post of District and Sessions Judge, Solan but for his proceeding on leave for the above period.

Shimla, the 18th February, 2008

No.HHC/GAZ/14 - 204/91-III.— Hon'ble the Chief Justice is pleased to grant ex post facto sanction of 6 days commuted leave w.e.f. 6.2.2008 to 11.2.2008 in favour of Shri V.K. Sharma, District and Sessions Judge, Hamirpur.

Certified that Shri Sharma has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Sharma would have continued to hold the post of District and Sessions Judge, Hamirpur, but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
REGISTRAR GENERAL.

IN THE COURT OF SMT. MAMTA I.A.S., MARRIAGE OFFICER-CUM-**SUB-DIVISIONAL MAGISTRATE, DEHRA, DISTRICT KANGRA (H. P.)**

In the matter of :

1. Vineet Sood s/o Shri Subhash Chand, resident of Village Tihri, Post Office Tihri, Tehsil Khundian, District Kangra, Himachal Pradesh.
2. Nisha Sood d/o Shri Ramesh Sood, resident of H/1, Anupam Nagar, Tehsil Raipur, Himachal Pradesh ..*Applicants.*

Versus

General Public

Subject.—Application for the Registration of Marriage under Special Marriage Act, 1954.

Shri Vineet Sood s/o Subhash Chand and Nisha Sood d/o Shri Ramesh Sood have filed an application alongwith affidavits in the Court of undersigned under Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 19-4-2007 according to Hindu Rites and ceremonies of marriage have been performed between the applicants and they have been living together as a husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this Court on or before 10-3-2008 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued on the 20th day of February, 2008 under my hand and seal of Court.

Seal.

MAMTA,
Marriage Officer-cum-*Sub-Divisional Magistrate,*
Dehra, District Kangra, Himachal Pradesh.

IN THE COURT OF SMT. MAMTA I.A.S., MARRIAGE OFFICER-CUM**-SUB-DIVISIONAL MAGISTRATE, DEHRA, DISTRICT KANGRA (H. P.)**

In the matter of :

1. Anil Kumar s/o Shri Hans Raj, resident of Village Bahna Kalan, Post Office Ghallour, Tehsil Jawalamukhi, District Kangra, Himachal Pradesh.

2. Aruna Bala d/o Shri Pawan Kumar, resident of Village Gummer, Post Office Gummer, Tehsil Dehra, District Kangra (H. P.) ..*Applicants.*

Versus

General Public

Subject.—Application for the Registration of Marriage under Special Marriage Act, 1954.

Shri Anil Kumar s/o Shri Hans Raj and Smt. Aruna Bala d/o Shri Pawan Kumar have filed an application alongwith affidavits in the Court of undersigned under Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 19-4-2007 according to Hindu Rites and ceremonies of marriage have been performed between the applicants and they have been living together as a husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 10-3-2008 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued on the 20th day of February, 2008 under my hand and seal of Court.

Seal. MAMTA,
Marriage Officer-cum-*Sub-Divisional Magistrate,*
Dehra, District Kangra, Himachal Pradesh.

ब अदालत श्री टी० डी० भारद्वाज, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

Tsering Palmo w/o Mr. Chowang Dorjee r/o Tashi Jong, P. O. Taragarh, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Tsering Palmo w/o Mr. Chowang Dorjee r/o Tashi Jong, P. O. Taragarh, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र Tashi Namdak का जन्म दिनांक 1–5–1987 को महाल Tashi Jong में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका । अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण बारे में कोई उजर–एतराज हो तो वह दिनांक 11–4–2008 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त काई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 20–2–2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। टी० डी० भारद्वाज,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

———————

ब अदालत श्री टी० डी० भारद्वाज, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

Pema Wangchen through Sonam Lhadon, r/o Tashi Jong, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Smt. Sonam Lhadon w/o Lt. Shri Rinzin, निवासी Tashi Jong, डाकखाना Taragarh, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र Pema Wangchen का जन्म दिनांक 9–3–1994 को महाल Tashi Jong में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका । अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण बारे में कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 31–3–2008 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त काई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 16–2–2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। टी० डी० भारद्वाज,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री टी० डी० भारद्वाज, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

Sherab Palden through Rinzin, r/o Tibetian Colony, Tashi Jong, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Smt. Sonam Lhadon w/o Sh Rinzin, निवासी गांव Tashi Jong, डाकखाना Taragarh, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र Sherab Palden का जन्म दिनांक 26–12–1991 को महाल Tashi Jong में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका । अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण बारे में कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 31–3–2008 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त काई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 16–2–2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

टी० डी० भारद्वाज,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

———

ब अदालत श्री टी० डी० भारद्वाज, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

Meena Devi w/o Shri Dev Raj, r/o Ashapuri, डाकखाना बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Meena Devi w/o Shri Dev Raj, निवासी गांव Ashapuri, डाकखाना बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र विशाल का जन्म दिनांक 10–2–2001 को महाल Ashapuri में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका । अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण बारे में कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 31–3–2008 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त काई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 16–2–2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

टी० डी० भारद्वाज,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

———————

ब अदालत श्री टी० डी० भारद्वाज, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री साजू राम पुत्र स्व० श्री नानकू राम, निवासी गांव व डा० भट्टू, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री साजू राम पुत्र स्व० श्री नानकू राम, निवासी गांव व डा० भट्टू, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र गुजारा है कि उसके पिता श्री नानकू राम की मृत्यु दिनांक 26–6–1984 को महाल भट्टू में हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका । अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 11–4–2008 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त काई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 20–2–2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

टी० डी० भारद्वाज,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री टी० डी० भारद्वाज, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती शारदा कुमारी पत्नी स्व० श्री कुलदीप ठाकुर, निवासी पपरोला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती शारदा कुमारी पत्नी स्व० श्री कुलदीप ठाकुर, निवासी पपरोला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र गुजारा है कि उसके पोते सक्षम ठाकुर का जन्म दिनांक 10–4–2006 को महाल पपरोला में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका । अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 31–3–2008 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त काई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 16–2–2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

टी० डी० भारद्वाज,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

———————

ब अदालत श्री टी० डी० भारद्वाज, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री जीत बहादुर पुत्र श्री मन बहादुर, निवासी गांव अमरपुर, डाकखाना उतराला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री जीत बहादुर पुत्र श्री मन बहादुर, निवासी गांव अमरपुर, डाकखाना उतराला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र गुजारा है कि उसकी पत्नी श्रीमती उमा देवी की मृत्यु दिनांक 15–3–1995 को महाल अमरपुर में हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका । अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 11–4–2008 को सुबह 10.00 बजे

न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त काई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 20–2–2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

टी० डी० भारद्वाज,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

————————

ब अदालत श्री टी० डी० भारद्वाज, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री लभू राम पुत्र स्व० श्री फागू राम, निवासी गांव कोठार थाथी, डाकखाना संसाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री लभू राम पुत्र श्री फागू राम, निवासी गांव कोठार थाथी, डाकखाना संसाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र गुजारा है कि उसकी माता श्रीमती जानकी देवी की मृत्यु दिनांक 10–6–1973 को महाल कोठार थाथी में हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका । अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 31–3–2008 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त काई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 16–2–2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

टी० डी० भारद्वाज,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

————————

ब अदालत श्री टी० डी० भारद्वाज, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री चमन लाल पुत्र श्री हरीश चन्द, निवासी बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री चमन लाल पुत्र श्री हरीश चन्द, निवासी बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र गुजारा है कि उसके पौत्र अनमोल शर्मा का जन्म दिनांक 20–4–2001 को महाल बैजनाथ में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका । अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 11–4–2008 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त काई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 20–2–2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

टी० डी० भारद्वाज,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

———————

ब अदालत श्री टी० डी० भारद्वाज, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री संजय कुमार पुत्र श्री सरन दास, निवासी गांव व डाकघर सिम्बल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री संजय कुमार पुत्र श्री सरन दास, निवासी गांव व डाकघर सिम्बल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री सलोनी कुमारी का जन्म दिनांक 24–1–2003 को महाल सिम्बल में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका । अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 31–3–2008 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त काई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 16–2–2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

टी० डी० भारद्वाज,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री एस० एल० बन्सल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती कमलेश मनकोटिया बनाम आम जनता।

विषय.–प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती कमलेश मनकोटिया पत्नी श्री राकेश कुमार, निवासी योल कैम्प, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ–पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र मनतीष मनकोटिया का जन्म दिनांक 16–6–1996 को हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत कैन्ट बोर्ड योल में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किए जाने के आदेश दिए जाएं।

इस नोटिस द्वारा आम जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त बच्च मनतीष का जन्म पंजीकृत किए जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 3–4–2008 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ–पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किए जाने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 23–2–2008 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। एस० एल० बन्सल,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

———

ब अदालत श्री एस० एल० बन्सल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती रीना देवी बनाम आम जनता

विषय.–प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती रीना देवी पत्नी श्री राज कुमार, निवासी सुक्कड़, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ–पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री सुनाली का जन्म दिनांक 25–3–2003 को हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत सुक्कड़ में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किए जाने के आदेश दिए जाएं।

इस नोटिस द्वारा आम जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त बच्चे सुनाली का जन्म पंजीकृत किए जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज

हमारी अदालत में दिनांक 3–4–2008 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ–पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किए जाने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 23–2–2008 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। एस० एल० बन्सल,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

———————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

रिशेन्द्र गुप्ता पुत्र श्री नरेश कुमार गुप्ता, निवासी मकान नं0 28, डियारा सैक्टर, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश
. .प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

शादी को नगर परिषद् बिलासपुर के अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन पत्र।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में आवेदन–पत्र दायर किया है कि उसकी शादी प्रिया गुप्ता पुत्री श्री ओम प्रकाश गुप्ता, निवासी बालूगंज, जिला शिमला से दिनांक 30–1–05 को हिन्दु रिति रिवाज के साथ हुई है। लेकिन उक्त शादी नगर परिषद् बिलासपुर के अभिलेख में दर्ज न है। अतः अब दर्ज करने के आदेश देने की कृपा करें।

अतः इस इश्तहार राजपत्र के द्वारा आम जनता व रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त प्रार्थी की शादी को नगर परिषद् के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 22–4–08 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन / वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। गैर हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उपरोक्त शादी को नगर परिषद् के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 22–2–08 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –

कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) सदर,
जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

मुकेश रुडकी पुत्र श्री देवी दास, निवासी गांव दयोथ, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश
. .प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

दिए जाने आदेश सचिव ग्राम पंचायत दयोथ को कि वह श्री मुकेश रुडकी व श्रीमती सुदर्शना की शादी को पंचायत अभिलेख में दर्ज करें।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में श्री मुकेश रुडकी पुत्र श्री देवी दास, निवासी दयोथ ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में आवेदन–पत्र दायार किया है कि उसकी शादी सुदर्शना पुत्री श्री सन्दूप, निवासी बारंग, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर से दिनांक 28–4–07 को हिन्दु रिति रिवाज के साथ हुई है। लेकिन उपरोक्त शादी ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज न है। अतः अब दर्ज करने के आदेश देने की अनुकम्पा करें।

अतः इस इश्तहार राजपत्र के द्वारा आम जनता व सभी रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को श्री मुकेश रुडकी व सुदर्शना की शादी को पंचायत अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर हो तो वह दिनांक 5–4–08 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर अपना उजर पेश कर सकता है। उपस्थित न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर शादी को पंचायत अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 22–2–08 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) सदर,
जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)।

———————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री नथु राम, निवासी गांव तुहनु, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश
. .प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . .फरीकदोयम।

आवेदन–पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री नथु राम, निवासी तुहनु, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हि0 प्र0 ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में आवेदन–पत्र दायर किया है कि उसके पुत्र अरुण कुमार का जन्म 25–11–06 को गांव तुहनु में हुआ है लेकिन पंचायत अभिलेख में दर्ज न है। अतः अब पंचायत अभिलेख में दर्ज करने के आदेश देने की कृपा करें।

अतः इस राजपत्र इश्तहार के द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को श्री अरुण कुमार की जन्म तिथि को पंचायत अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 2–4–08 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर असालतन / वकालतन अपना उजर / एतराज पेश कर सकता है। इसके बाद कोई उजर / एतराज जेरे समायत न होगा और जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) सदर,
जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)।

————

ब अदालत श्री चैन सिंह ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि० प्र०)

मुकद्दमा : जन्म तिथि प्रमाण–पत्र।

श्री सुरिन्द्र पाल मिन्हास बनाम आम जनता।

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री सुरिन्द्र पाल मिन्हास पुत्र श्री ज्ञान चन्द मिन्हास, निवासी संगनेई, तहसील अम्ब, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसकी पुत्री पूनम का जन्म गांव ऊना मुहल्ला गलुआ में दिनांक 28–1–1979 को हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जावें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण बारे कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 25–3–2008 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन / वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जायेंगे।

आज दिनांक 20–2–2008 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। चैन सिंह ठाकुर,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना,
तहसील व जिला ऊना (हि० प्र०)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (ना० तह०) हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

वलजीत सिंह

बनाम

आम जनता

आवेदन–पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1969.

श्री वलजीत सिंह पुत्र श्री धनी राम, गांव वाथड़ी ने इस कार्यालय / न्यायालय में निवेदन किया है कि उसके पिता श्री धनी राम की मृत्यु दिनांक 9–11–1995 को हुई है। लेकिन उसकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 17–3–2008 को प्रातः 10 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय / न्यायालय में उपस्थित कर सकता है।

यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर या एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय में अधोहस्ताक्षरी द्वारा मृत्यु तिथि दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत वाथड़ी को आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 22–2–2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय / न्यायालय मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी (ना० तह०) हरोली,
जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित